संख्या–2775/मं0स0 (019)/2010

प्रेषक,

श्रवण कुमार शर्मा,
आयुक्त/अध्यक्ष (मण्डलीय समिति)
मेरठ मण्डल, मेरठ।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद
शिक्षा केन्द्र–2, समुदाय केन्द्र
प्रीति विहार, नई दिल्ली।

माध्यमिक शिक्षा (NOC) अनुभाग मेरठ दिनांक : 27–07–2010

विषय :– आई0आई0एम0टी0 एकेडमी, पी0–पाकेट, गंगानगर, मेरठ को आई0सी0एस0ई0, नई दिल्ली के स्थान पर सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1686/15–7–05–16(53)/2005 दिनांक 26–05–2005 द्वारा आई0आई0एम0टी0 एकेडमी, पी0–पाकेट, गंगानगर, मेरठ को आई0सी0एस0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया गया था। संस्थाधिकारियों के अनुरोध पर विद्यालय को आई0सी0एस0ई0, नई दिल्ली के स्थान पर सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता प्रदान्त करने हेतु शासनादेश संख्या–1916/15–7–9 (299)/2007 दिनांक 14–07–2009 द्वारा गठित मण्डलीय समिति की बैठक दिनांक 27–07–2010 को मण्डलायुक्त, मेरठ की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमें उक्त सन्दर्भित विद्यालय को सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने का निर्णय लिया गया :–

(1) विद्यालय की पंजीकत सोसायटी का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
(2) विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक/माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
(3) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
(4) संस्था को सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली सें सम्बद्धता प्राप्त होने पर पूर्व में आई0सी0एस0ई0, नई दिल्ली से प्राप्त सम्बद्धता स्वतः समाप्त हो जायेगी।
(5) संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
(6) कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

(7) राज्य सरकार/मण्डलीय समिति/शिक्षा विभाग द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।

(8) विद्यालय का रिकॉर्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।

(9) उत्तर प्रदेश शिक्षा संहिता की धारा–105 से 107 के अन्तर्गत विभिन्न वर्गों के छात्रों को अनुमन्य शुल्क मुक्ति संस्था के छात्रों को प्रदान की जायेगी

(10) उक्त शर्तों में राज्य सरकार/मण्डलीय समिति/शिक्षा विभाग के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

2– विद्यालय द्वारा छात्रों से कॉशनमनी (सिक्योरिटी), भवन शुल्क आदि मदों में शुल्क नहीं लिया जायेगा।

3– उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है, तो राज्य सरकार/मण्डलीय समिति द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

(श्रवण कुमार शर्मा)
आयुक्त/अध्यक्ष

पृ0सं0–2775/मं0स0 (019)/2010 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– संयुक्त सचिव (शिक्षा–7 अनुभाग) उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2– शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3– सचिव, आई0सी0एस0ई0सी0, नेहरू पैलेस, नई दिल्ली।
4– जिला विद्यालय निरीक्षक, मेरठ। ।
5– प्रबन्धक, आई0आई0एम0टी0 एकेडमी, पी0–पाकेट, गंगानगर, मेरठ।

आज्ञा से,
27.7
(वी0के0 सक्सेना)
संयुक्त शिक्षा निदेशक एवं सदस्य सचिव,
मेरठ मण्डल, मेरठ।